



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 490 राँची, बुधवार,
2 श्रावण, 1946 (श०)
24 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 जून, 2024

संख्या-5/आरोप-1-115/2016 का.-25831 (HRMS)--श्रीमती अंजना दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4720, दिनांक 23.08.2016 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में श्रीमती अंजना दास के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

आरोप सं०-1- श्रीमती अंजना दास द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद् के पद पर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के पदस्थापन अवधि में निम्नांकित अनियमितता बरती गई है-

- नगर परिषद् क्षेत्र में एल०ई०डी० लाइट के अधिष्ठापन में अनियमितता,
- नगर परिषद् क्षेत्र में डस्टबीन की आपूर्ति में अनियमितता,

(iii) सोनपुरवा बस स्टैंड, गढ़वा के जिर्णोद्धार कार्य में अनियमितता ।

आरोप सं0-2- श्रीमती दास के उक्त कृत्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमिततायें हुई हैं तथा राजकोष को वित्तीय क्षति पहुँची है ।

आरोप सं0-3- श्रीमती दास द्वारा उक्त कार्य कर, पूर्ण शीलनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव तथा Unbecoming आचरण प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है ।

2. विभागीय पत्रांक- 7772 दिनांक- 07.09.2016 के द्वारा उक्त आरोपों के संबंध में श्रीमती दास से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके क्रम में श्रीमती दास के द्वारा पत्रांक-08 दिनांक- 20.08.2018 के माध्यम से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. विभागीय पत्रांक-7466 दिनांक- 04.10.2018 के माध्यम से श्रीमती दास के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5013 दिनांक- 04.10.2019 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण के कई बिन्दुओं पर असहमति संसूचित की गई है ।

4. श्रीमती दास के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर श्रीमती दास के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर संकल्प सं०-6925(HRMS), दिनांक 17.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है ।

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-19, दिनांक 11.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती दास के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

6. श्रीमती अंजना दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर निम्नवत् समीक्षा की गई:-

(1). आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक- 18.06.14 को संपन्न हुई नगर परिषद, गढ़वा की बैठक में सभी कार्यों को प्रस्ताव के रूप में शामिल करते हुए अनुमोदित की गई है, किन्तु आरोप पत्र में अंकित निविदा से संबंधित कार्य अध्यक्ष नगर पंचायत के मांग पत्र के रूप में शामिल की गई है। अगर मांग पत्र में अंकित कार्यों का

भी बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया जाना था, तो उसमें अंकित कार्यों को प्रस्ताव वार बोर्ड बैठक में शामिल करते हुए अनुमोदित की जानी चाहिए थी, क्योंकि मांग पत्र आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा बदला जा सकता है, किन्तु बैठक की कार्यवाही में प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित हो जाने पर इसे नहीं बदला जा सकता है। स्ट्रीट पोल पर LED लाईट अधिष्ठापन के निविदा प्रकाशन के पूर्व संबंधित कार्य का कोई प्राक्कलन भी नहीं बनाया गया है। किसी भी निविदा में किसी भी सामग्री की Specification, सामग्री की संख्या, कार्य की विवरणी/सामग्री की गुणवत्ता आदि स्पष्ट होनी चाहिए। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की स्पष्टता रहने पर ही सही ढंग से न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो सकती हैं, क्योंकि different watt एवं specification रहने पर न्यूनतम मूल्य भी different होगा। प्राक्कलन न होने पर ऐसे कार्यों का मापी पुस्तक में संधारण या सत्यापन भी मुश्किल है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित अनुलग्नक-2(i) compare chart के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अलग-अलग Watt हेतु अलग-अलग दर Quoted है। ऐसे में न्यूनतम दर निर्धारित नहीं हो सकती है। निविदा एवं Compare Chart में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त दर Pole, Cable, switch सहित है या इसे छोड़कर ।

(2). आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्य से स्पष्ट है कि लोहे का ड्रम (छोटा डस्टबिन) हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, किन्तु आपूर्ति में बड़ा ड्रम लिया गया है। Compare Chart में अंकित Deepak Enterprises द्वारा बड़ा ड्रम का दर रु०- 2,878/- एवं छोटा का दर रु०- 1,478/- अंकित किया गया है। दूसरे आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित दर रु०- 2,972/- में यह स्पष्ट नहीं है कि बड़े या छोटे ड्रम का है। Deepak Enterprise आपूर्तिकर्ता द्वारा किस प्रकार बड़ा ड्रम का दर अंकित किया गया है, जबकि निविदा छोटे ड्रम का था, स्पष्ट नहीं है। निविदा निष्पादन में इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है, कि स्वीकृत निविदा दाता द्वारा निविदा में प्रकाशित शर्तों को पूरा करता है या नहीं। निविदा प्रकाशन में लोहे के ड्रम का Gauge भी अंकित नहीं है। निविदा के अनुरूप छोटा ड्रम लिया जाना था लेकिन बड़ा ड्रम (संविदा से भिन्न) प्राप्त किया गया। मात्र दो निविदा कर्ता में Deepak Enterprise को स्वीकृत किया गया है ।

(3) सोनपुरवा बस स्टैंड, गढ़वा के जीर्णोधार कार्य के निविदा यश ट्रेडिंग कम्पनी को मात्र इस आधार पर दी गई कि वे गढ़वा नगर निगम में निबंधित हैं, जबकि उक्त द्वारा पैन कार्ड एवं Income Tax Return तथा VAT निबंधन समर्पित नहीं किया गया है जबकि उक्त शर्तें भी अनिवार्य होनी चाहिए ।

(4) Jharkhand Municipal Accounts Manual(Part-A) की धारा-78 के अनुसार संविदा निष्पादन हेतु गठित समिति में अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ-साथ वित्त/लेखा विभाग के प्रतिनिधि, कार्य से संबंधित विभाग के प्रतिनिधि एवं आवश्यकतानुसार कार्य विशेषज्ञ को भी रखने का प्रावधान है। लेकिन वित्त विभाग का कोई प्रतिनिधि निविदा निष्पादन में भाग नहीं लिया है ।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रत्येक जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि निविदा से संबंधित तकनीकी जानकारी कार्यपालक अभियंता की थी, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध कोई जानकारी नहीं दी गई।

(5). विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि सामग्री क्रय किए जाने के लिए किसी प्रकार का प्राक्कलन तैयार नहीं किया जाता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह स्ट्रीट लाईट में LED Light लगाने से संबंधित कार्य/योजना थी, जिसका प्राक्कलन बनाते हुए निश्चित रूप से मापी पुस्त संधारित किया जाना चाहिए था। साथ ही, कार्य पूर्णता प्रतिवेदन भी समर्पित होनी चाहिए थी, ताकि किये गये कार्य/आपूर्ति की गयी सामग्री की संख्या एवं गुणवत्ता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(6). निविदा में प्रत्येक सामग्री प्रति यूनिट के आधार पर आमंत्रित की गई है, जबकि आपूर्ति की गयी सामग्री का मात्रा काफी ज्यादा है। निश्चित रूप से एक अदद एवं ज्यादा मात्रा में आपूर्ति की गयी सामग्री की दर में अंतर होगा।

7. उपर्युक्त कंडिका-6 में अंकित समीक्षा बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक- 3472, दिनांक- 03.06.2022 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1233 दिनांक- 29.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक- 5013, दिनांक- 04.10.2019 को विभागीय मंतव्य माने जाने का निर्णय लिया गया है।

8. श्रीमती दास के द्वारा प्रोन्नति, विभागीय कार्यवाही का निष्पादन, परिणामी वित्तीय लाभ एवं वरीयता हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) No-6387/2022 में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-13.02.2023 को पारित आदेश में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आठ सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया।

9. उपर्युक्त कंडिका-6 में अंकित समीक्षा बिन्दुओं के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित मानते हुए विभागीय पत्रांक- 3078, दिनांक- 29.05.2023 द्वारा असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए श्रीमती दास के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के दण्ड पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक- 4661 दिनांक- 16.08.2023 एवं पत्रांक- 7101 दिनांक- 09.12.2023 के द्वारा उन्हें स्मारित भी कराया गया, परन्तु श्रीमती दास के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित नहीं किया गया।

10. श्रीमती दास के द्वारा प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछे जाने से संबंधित विभागीय पत्रांक- 3078, दिनांक- 29.05.2023 को निरस्त करने एवं परिणामी वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(S) No- 5025/2023 दायर किया गया है ।

11. विभागीय पत्रांक- 3472, दिनांक- 03.06.2022 के द्वारा समीक्षा के बिन्दुओं पर पूर्व में वांछित मंतव्य के क्रम में स्मारित कराते हुए पुनः विभागीय पत्रांक- 3519 दिनांक- 22.05.2024 के माध्यम से समीक्षा के बिन्दुओं पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गई ।

उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 2041, दिनांक- 28.05.2024 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा विभागीय समीक्षा बिन्दु-1, 2 एवं 3 के संबंध में प्रतिवेदित है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में इस संबंध में समीक्षा की गई है तथा पत्रांक- 5013 दिनांक- 04.10.2019 से आरोप को सम्पुष्ट किया गया है ।

विभागीय समीक्षा बिन्दु-4 के संबंध में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55 की उपधारा-9 एवं विभागीय संकल्प संख्या- 165, दिनांक- 11.01.2016 में उल्लेखित प्रावधानों को इंगित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि नगरपालिकाओं अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने, सम्पादन में कोई अनियमितता न हो, इसके अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का प्राथमिक प्रशासनिक दायित्व कार्यपालक पदाधिकारी का ही है। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है ।

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में विभागीय समीक्षा बिन्दु-5 से भी सहमति व्यक्त की गई है तथा समीक्षात्मक बिन्दु-6 के संबंध में अंकित किया गया है कि योजना तैयार करने एवं निविदा निष्पादन में नियमों के पालन का प्राथमिक प्रशासनिक दायित्व कार्यपालक पदाधिकारी का ही है ।

12. अतः श्रीमती दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर की गई समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति के अंकित बिन्दुओं (कार्यालय समीक्षा बिंदु) पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती अंजना दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती अंजना दास, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANJANA DAS 20060400034	श्रीमती अंजना दास, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-47/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) लघु दण्ड अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
